



संख्या : — /जी०एस०(शिक्षा) /A 11-62 /2013

प्रेषक,

सेवा में,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

कुलपति,

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल,
टिहरी।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून : दिनांक / ० अक्टूबर, 2022

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 81 दिनांक 29 सितम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा सौंगत्सेन लाईब्रेरी (सेन्टर फॉर तिब्बतेन एवं हिमालयन स्टडीज) को बी०ए० (बुद्धिस्ट स्टडीज एवं भोटी/तिब्बतेन लैंग्वेज व लिटरेचर)-40 सीट एवं एम०ए० (बुद्धिस्ट स्टडीज एवं भोटी/तिब्बतेन लैंग्वेज व लिटरेचर)-30 सीट के साथ शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा 33(1) की व्यवस्थानुसार संस्थान को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	सौंगत्सेन लाईब्रेरी (सेन्टर फॉर तिब्बतेन एवं हिमालयन स्टडीज), कुल्हान, सहस्रनामा रोड, देहरादून	बी०ए० (बुद्धिस्ट स्टडीज एवं भोटी/तिब्बतेन लैंग्वेज व लिटरेचर)	40 सीट	2019-20 एवं 2020-21
		एम०ए० (बुद्धिस्ट स्टडीज एवं भोटी/तिब्बतेन लैंग्वेज व लिटरेचर)	30 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतर्थ 02 माह के भीतर उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तदविषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- विश्वविद्यालय संस्थान में मानकानुसार भवन तथा फर्नीचर पूर्ण कराने तथा प्राभूति राशि के रूप में एफ०डी०आर० बंधक रखवाते हुए तदसम्बन्धी अभिलेखों सहित अनुपालन आख्या इस सचिवालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

कमशः/-

संख्या : 2581 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A11-62/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य— सौंगत्सेन लाईब्रेरी (सेन्टर फॉर तिब्बतेन एण्ड हिमालयन स्टडीज) कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० मदरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।